



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1104]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2009/आषाढ़ 24, 1931

No. 1104]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2009/ASADHA 24, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2009

का.आ. 1752(अ).—यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 13 अप्रैल, 2009 की सा.आ.सं.956(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

**संशोधन:**

जोन -एम में रोहिणी में आने वाली निम्नलिखित 25 एकड़ भूमि का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है ।

अवस्थिति	क्षेत्र	भू उपयोग (एमपीडी- 2021)	परिवर्तित भू- उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन-एम रोहिणी में सेक्टर-36	25 एकड़	मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)	परिवहन (हेलॉपॉर्ट)	उत्तरी-पश्चिम - 100 मी० मार्गाधिकार शहरी विस्तार रोड सं० 2  उत्तरी-पूर्वी - मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)  दक्षिण-पश्चिम - 60 मी० मार्गाधिकार रोड  दक्षिण-पूर्व-30 मी० रोड

[सं. के-13011/2/2009-डीडीआईबी]

पी.के. संतरा, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(Delhi Division)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th July, 2009

S.O. 1752(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 956(E) dated 13<sup>th</sup> April, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

### Modification :

The land use of the following area measuring 25 acres of land at Rohini in Zone-M is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Sector-36, Rohini in Zone-M	25 acres	Recreational (District Park)	Transportation (Heliport)	<b>North-West-</b> 100 mt. R/W Urban Extension Road No.2 <b>North-East -</b> Recreational (District Park) <b>South-West -</b> 60 mt. R/W Road <b>South-East -</b> 30 mt. Road

The green buffer along 60 mt. R/W and 100 mt. R/W shall be maintained.

[No.K-13011/2/2009-DDIB]  
P.K. SANTRA, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2009

का.आ. 1753(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ( 1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 13 अप्रैल, 2009 की सा.आ.सं.955(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्तियों /सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

#### संशोधन:

जोन -जे में घिटोरिनी में आने वाली निम्नलिखित 96.72 हे०(239 एकड़) भूमि का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है।

अवस्थिति	क्षेत्र	भू उपयोग (एमपीडी- 2021)	परिवर्तित भू- उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन-जे में घिटोरिनी	96.72 (239 एकड़)	कृषि	(i) रिहायशी- 65.18 हे० (ii) सरकारी कार्यालय 27.92 हे० (iii) सड़कें 30 मी० एवं 3.62 हे० से ऊपर कुल: 96.72 (239 एकड़)	पूर्व- कृषि भूमि पश्चिम-कृषि भूमि उत्तर-कृषि भूमि दक्षिण-घिटोरिनी गांव

[सं. के-13011/2/2009-डीडीआईबी]

पी.के. संतरा, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2009

S.O. 1753(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 955(E) dated 13<sup>th</sup> April, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**Modification :**

The land use of the following area measuring 96.72 ha (239 acres) of land at Ghitorni in Zone-J is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD- 2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Ghitorni in Zone- J	96.72 Ha (239 acres)	Agriculture	(i) Residential- 65.18 Ha (ii) Govt. offices 27.92 Ha. (iii) Roads 30 mt. and above 3.62 Ha Total: 96.72 Ha. (239 acres)	<b>East-</b> Agricultural land <b>West-</b> Agricultural land <b>North</b> — Agricultural land <b>South</b> — Ghitorni Village

[No. K-13011/2/2009-DDIB]  
P.K. SANTRA, Under Secy.